



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-02082025-265179
CG-RJ-E-02082025-265179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3462]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3462]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3546(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 13 मई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग) की अधिनियम संख्या का आ. 2140 (अ) दिनांक 14 मई 2025 तथा दिनांक 09 जून 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग) की अधिनियम संख्या का आ. 2515 (अ) दिनांक 09 जून 2025 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले की तहसील बिजयनगर में विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20 अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक नवज्योति" और "राजस्थान पत्रिका" में तारीख 17 मई 2025 एवं 15 जून 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को इस परियोजना में तय समय में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए और सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए ;

और, उक्त अधिनियम की धारा सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (20)ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट के द्वीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और की, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के लिए अवासाधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण :-

जिले का नाम – ब्यावर

तहसील का नाम – बिजयनगर

क्र. सं.	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अवाप्त रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि मालिक का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजयनगर	471	बारानी 3	सरकारी	4.587	0.3860	1.) राजस्थान सरकार नगरपालिका बिजयनगर हिस्सा- पूर्ण नगरपालिका बिजयनगर
कुल योग :						0.3860	
1	शिखरानी-I	1186	गै.मु. धोरा	निजी	0.0444	0.0063	1.) प्रेमकंवर पत्नि भैरुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. बिजयनगर खातेदार 2.) हंसाकंवर पत्नि शुभकरण हिस्सा- 1/2 जाति- चारण सा. देह खातेदार
2	शिखरानी-I	1187	चाही 1	निजी	0.1982	0.0152	1.) बलराम जाट पुत्र ब्रह्मलाल जाट हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा.बिजयनगर खातेदार
3	शिखरानी-I	1188	गै.मु. चाह	निजी	0.0080	0.0080	1.) प्रेमकंवर पत्नि भैरुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. बिजयनगर खातेदार 2.) हंसाकंवर पत्नि शुभकरण हिस्सा- 1/2 जाति- चारण सा. देह खातेदार
4	शिखरानी-I	1204	बारानी 3	निजी	0.3559	0.2744	1.) बजरंगसिंह पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिजयनगर 2.) हरिसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
5	शिखरानी-I	4751/1189	बारानी 3	निजी	0.1214	0.0790	1.) पारसी पत्नि सांवरिया हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार
कुल योग :						0.3829	

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-19]

राजीव श्रीवास्तव , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 29th July, 2025

S.O. 3546(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Western Railway, Construction organisation), Notification number, S.O. **2140(E)** dated the 13th May, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 14th May, 2025 & S.O. **2515(E)** dated the 09th June, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 09th June, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (i) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)” of Ajmer Division of North Western Railway” in the state of Rajasthan.**

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **“Dainik Navjyoti”** and **“Rajasthan Patrika”** Dated 17 May-2025 & 15 June-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, No objections were received within the stipulated time period by Competent Authority and accordingly orders have been passed.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declare that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely “Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)” of Ajmer Division of North Western Railway”.

District Name – Beawer

Tehsil Name – Bijainagar

Sr. No.	Village Name	Survey No./Khasra No.	Nature of Land	Type of Land	Total Area (in Hact.)	Acquired Area (in Hact.)	Land Owner Detail
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bijainagar	471	Barani 3	Government	4.587	0.3860	1.) Rajasthan Sarkar, Nagar Palika Bijaynagar, hissa-Purn Nagar Palika Bijaynagar.
SUB TOTAL :						0.3860	
1	Shikhrani-1	1186	Ga. Mu. Dhora	Private	0.0444	0.0063	1.) Premkanwar patni Bhairusingh hissa - 1/2 jaati - Rajput sa. Bijaynagar khatedar 2.) Hansakanwar patni Shubhkaran hissa - 1/2 jaati - Charan sa. Deh khatedar
2	Shikhrani-1	1187	Chahi 1	Private	0.1982	0.0152	1.) Balram Jat putra Brahmamal Jat hissa - poorn jaati-Jat sa. Bijaynagar khatedar
3	Shikhrani-1	1188	Ga. Mu. Chah	Private	0.0080	0.0080	1.) Premkanwar patni Bhairusingh, hissa - 1/2, jaati - Rajput, sa. Bijaynagar, khatedar 2.) Hansakanwar patni Shubhkaran, hissa - 1/2, jaati-Charan, sa. Deh, khatedar

4	Shikhrani-1	1204	Barani 3	Private	0.3559	0.2744	1.) Bajrang Singh putra Gordhan Singh, hissa - 1/2, jaati - Rajput, sa. Deh, khatedar, hissa - 1/2 (poorn khata), Punjab National Bank shakha Bijaynagar 2.) Hari Singh putra Narayan Singh, hissa - 1/2, jaati - Rajput, sa. Deh, khatedar
5	Shikhrani-1	4751/1189	Barani 3	Private	0.1214	0.0790	1.) Parsi patni Sanwariya hissa - poorn jaati - Jat sa. Deh khatedar
SUB TOTAL :						0.3829	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XIX]

RAJEEV SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Construction)